

BJP Two-Thirds Majority, Seat Numbers and Constitutional Significance



Whether it is a discussion on legislative amendments or constitutional changes that are on the table, the BJP Two-Thirds Majority has always been a topic that has been getting much discussion in India. Some people think that a mere majority is sufficient for amendments to the Constitution. But the Indian Constitution mandates that a number of changes to its text must be passed by a special majority. Hence, the significance of understanding the BJP Two-Thirds Majority lies in grasping how Parliament functions, how amendments are to be passed in the Constitution and the importance of the number of seats in both Houses of Parliament. This article details the enterprising numbers, constitutional implications, meaning and sometimes asked questions in an easy-to-understand way.

What is BJP Two-Thirds Majority?

- Where the Bharatiya Janata Party (BJP) has a $\frac{2}{3}$ majority, either on its own or combined with other parties, in Parliament, it has adequate parliamentary strength to move most of the Constitutional Amendment Bills through in Parliament.
- The process of considering a special legislation is different from that for an ordinary law.
- A majority of all members in the House of Parliament is needed.
- Further, this amendment must gain the support of two-thirds of the members present and voting in each House.

Current Affairs Capsule for 2 July 2026 (CLASS24)

- The amendment should be passed by the Lok Sabha and Rajya Sabha as separate houses; they must do this separately in this particular case, and there is no provision for joint sitting.
- Some of the constitutional amendments, moreover, must be ratified by many State Legislatures equal to $\frac{1}{2}$ or more of the 50 to be in force.
- So the required quorum for the two Houses on the day of voting will determine the exact number of votes required.

Examples of Constitutional Amendments Passed with Special Majority

Several landmark constitutional amendments have required a special majority, including:

Constitutional Amendment	Significance
42nd Amendment	Extensive constitutional changes
44th Amendment	Restoration of democratic safeguards
73rd Amendment	Panchayati Raj Institutions
74th Amendment	Urban Local Bodies
86th Amendment	Right to Education
101st Amendment	Goods and Services Tax (GST)
103rd Amendment	10% EWS Reservation
106th Amendment	Women's Reservation in Legislatures

How Are Constitutional Amendments Passed?

- Under Article 368 of the Constitution, an introduction of a Constitutional Amendment Bill can be made in either the Lok Sabha or Rajya Sabha.
- It is introduced into the Parliament of both Houses and debated and discussed separately.
- Must be approved by a majority of the total membership of each House.
- It must be backed by a two-thirds majority in each House in attendance and voting.
- A Constitutional Amendment Bill against the motion moved by the two Houses of the national Assembly does not provide for a joint sitting in case of disagreement.

Current Affairs Capsule for 2 July 2026 (CLASS24)

- Alteration of any of the articles of the Constitution can be adopted by two-thirds of the State legislatures if it impacts the federal structure, including the authority of States, or the election of the President.
- On parliamentary and state clearance (if any), the bill is signed by the President of India and becomes a part of the Constitution.

PYQs on Constitutional Amendments & Special Majority

Exam	Year	Question	Options	Correct Answer
UPSC CSE (Prelims)	201 3	Which Article of the Constitution deals with the amendment of the Constitution?	(A) Article 356 (B) Article 368 (C) Article 370 (D) Article 352	(B) Article 368
UPSC CSE (Prelims)	201 7	A Constitutional Amendment Bill may be introduced in:	(A) Lok Sabha only (B) Rajya Sabha only (C) Either House of Parliament (D) Joint Sitting	(C) Either House of Parliament
SSC CGL	202 3	Which type of majority is generally required to pass a Constitutional Amendment Bill under Article 368?	(A) Simple Majority (B) Absolute Majority (C) Special Majority (D) Effective Majority	(C) Special Majority
SSC CGL	202 2	Which Constitutional Amendment introduced the Goods and Services Tax (GST) in India?	(A) 97th Amendment (B) 99th Amendment (C) 101st Amendment (D) 103rd Amendment	(C) 101st Amendment
SSC CHSL	202 1	A Constitutional Amendment Bill requires the approval of:	(A) Lok Sabha only (B) Rajya Sabha only (C) Both Houses of Parliament separately (D) Joint Sitting of Parliament	(C) Both Houses of Parliament separately
RRB NTPC	202 1	Which of the following Constitutional Amendment Bills also requires ratification by at least half of the State Legislatures?	(A) Amendment affecting Centre-State relations (B) Money Bill (C) Finance Bill (D) Appropriation Bill	(A) Amendment affecting Centre-State relations

Current Affairs Capsule for 2 July 2026 (CLASS24)

RRB Group D	202 2	Which House of Parliament has no provision for a joint sitting in the case of a Constitutional Amendment Bill?	(A) Lok Sabha (B) Rajya Sabha (C) Both Houses (D) None of the above	(C) Both Houses
RRB JE	201 9	The President of India gives assent to a Constitutional Amendment Bill after it is passed under which Article?	(A) Article 123 (B) Article 356 (C) Article 368 (D) Article 324	(C) Article 368
SSC MTS	202 3	The minimum parliamentary majority required for most Constitutional Amendments is known as:	(A) Simple Majority (B) Special Majority (C) Effective Majority (D) Absolute Majority	(B) Special Majority
CDS (GK)	202 0	Which statement is correct regarding Constitutional Amendment Bills?	(A) They can be passed in a joint sitting. (B) They can be introduced only in Lok Sabha. (C) They must be passed separately by each House with a special majority. (D) They do not require the President's assent.	(C) They must be passed separately by each House with a special majority.

Conclusion on Two-Thirds Majority in Parliament

The BJP Two-Thirds Majority is more than merely a political milestone. It is essentially the threshold of the Constitution for many important amendments under Article 368. The proposition that the passage of the constitutional amendments will necessitate absence from the floor by two-thirds of the House membership and by a majority of House membership also largely determines parliamentary arithmetic. Having gained such insights, citizens have a better understanding of the procedure for amending India's Constitution, and how these changes are debated, approved and added to the Constitution in the context of India's democratic form of governance.

BJP's Two-Thirds Majority in Parliament FAQs

What is BJP Two-Thirds Majority?

The **BJP Two-Thirds Majority** refers to securing sufficient parliamentary support to meet the constitutional special majority required for passing constitutional amendment bills.

Which Article governs the two-thirds majority?

Article 368 of the Constitution of India lays down the procedure for constitutional amendments requiring a special majority.

Does BJP need two-thirds majority in both Houses?

Yes. Constitutional amendments must be passed separately by both the Lok Sabha and the Rajya Sabha using the prescribed special majority.

Is a simple majority enough for constitutional amendments?

No. Most constitutional amendments require a special majority under Article 368, not merely a simple majority.

Do all constitutional amendments require state ratification?

No. Only amendments affecting certain federal provisions require ratification by at least half of the State Legislatures.

Birth and Death Registrations Nearly Match Official Estimates in 2024

Birth and Death Registration Nearly Match Official Estimates in 2024



The Birth and Death Registrations 2024 have been at a significant milestone, with the number of registered births and deaths being almost as close to the official estimate of the Government of India. This milestone reflects continuous efforts of improvement within the Civil Registration System (CRS), within digital Registry processes and in raising awareness about the civil aspects. With the increasing enrolment in States and UTs, it is important to have sound data of population, which helps in governance, policy planning, healthcare, and social welfare. This article summarises the recent data about birth and death registrations, constitutional and administrative implications, important aspects of the concern, issues and implications about it, and its influence on public administration and competitive examinations.

Key Highlights of India's Civil Registration System Records

Particular	Details
Focus Keyword	Birth and Death Registrations 2024
Registration System	Civil Registration System (CRS)
Implementing Ministry	Ministry of Home Affairs (Registrar General of India)
Legal Framework	Registration of Births and Deaths Act, 1969
Main Finding	Registered births and deaths nearly matched official estimates in 2024

Current Affairs Capsule for 2 July 2026 (CLASS24)

Importance	Population statistics, governance, planning, welfare schemes
Data Source	Civil Registration System (CRS)

What are Birth and Death Registrations 2024?

- The Birth and Death Registrations 2024 are the official documents of the registration of all births and deaths as per the Registration of Births and Deaths Act, 1969.
- Registration is carried out under the Civil Registration System (CRS) of India.
- Registration work is carried out at the State level by the State Coordinator, which is managed by the Registrar General of India (RGI) at the National level.
- By law, it is mandatory to register births and deaths.
- Birth registration is a legal record of a person's identity, age, nationality and parentage.
- Death registration documents the legal fact and cause of death, which provides assistance to public health statistics and law.
- There was increased completeness in Birth and Death Registrations, with the data for 2024 showing a close match to official demographic estimates.
- Registration enables Governments to plan populations, provide health policies, provide Welfare schemes, and record vital statistics accurately.

Expected Questions Based on Birth and Death Registrations

Exam	Expected Year	Question	Options	Correct Answer
UPSC/SSC	2026	Which State recorded the highest number of registered births in India in 2024?	(A) Maharashtra (B) Uttar Pradesh (C) Bihar (D) Madhya Pradesh	(B) Uttar Pradesh
SSC CGL	2026	Which State registered the highest number of deaths in 2024 according to the Civil Registration System?	(A) Tamil Nadu (B) Maharashtra (C) Uttar Pradesh (D) West Bengal	(C) Uttar Pradesh
RRB NTPC	2026	Which Union Territory recorded the highest number of registered births in 2024?	(A) Chandigarh (B) Jammu & Kashmir (C) Delhi (D) Puducherry	(C) Delhi (NCT)

Current Affairs Capsule for 2 July 2026 (CLASS24)

SSC CHSL	2026	Which Union Territory reported the lowest number of registered births in 2024?	(A) Lakshadweep (B) Ladakh (C) Chandigarh (D) Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu	(A) Lakshadweep
UPSC Prelims	2026	Which State had the lowest number of registered births among the States in 2024?	(A) Goa (B) Sikkim (C) Mizoram (D) Arunachal Pradesh	(B) Sikkim
RRB Group D	2026	Which Union Territory recorded the lowest number of registered deaths in 2024?	(A) Lakshadweep (B) Ladakh (C) Chandigarh (D) Andaman & Nicobar Islands	(A) Lakshadweep
State PCS	2026	Which authority publishes India's annual Civil Registration System (CRS) Report ?	(A) National Statistical Office (B) Registrar General of India (C) NITI Aayog (D) Ministry of Health & Family Welfare	(B) Registrar General of India
SSC MTS	2026	Birth and Death Registration data in India are compiled under which system?	(A) Census of India (B) Civil Registration System (C) Sample Registration System (D) National Population Register	(B) Civil Registration System (CRS)

Conclusion on 2024 Civil Registration Data:

The achievement of the milestone “Birth and Death Registrations 2024” is a testament to the continuous progress and enhancement of the Civil Registration System in India. The associated increased use of more accurate demographic information for governance, healthcare and welfare planning creates more reliable information for policymakers because birth and death records are now more complete than estimates. Further efforts in digital transformation, increased public awareness and effective administrative coordination will lead to more precise and complete vital statistics, cementing the registration system as an integral part to evidence-based policymaking.

Birth and Death Registrations Nearly Align with 2024 Estimates FAQs

What are Birth and Death Registrations 2024?

They refer to the official registration of births and deaths recorded through India's Civil Registration System during 2024, with registration figures closely matching official demographic estimates.

Which law governs birth and death registration in India?

The **Registration of Births and Deaths Act, 1969** provides the legal framework for compulsory registration.

What is the Civil Registration System (CRS)?

The CRS is India's nationwide system for recording births and deaths and producing official vital statistics.

Why are Birth and Death Registrations 2024 important?

They improve demographic planning, healthcare policies, welfare delivery, population estimates, and administrative governance.

Which authority maintains the Civil Registration System?

The **Registrar General of India**, under the Ministry of Home Affairs, coordinates the Civil Registration System, while State Governments implement registration through local authorities.

Govt Sends Notice to WhatsApp Over Username Feature



It's now a significant technology and digital governance dilemma in India that the Government sent a notice to WhatsApp for its Username feature. The Central Government has reportedly raised questions with WhatsApp on its plan to roll out username-based messaging, citing privacy, traceability, cyber-security and compliance with India's digital laws. The development underscores the government's heightened attention on fostering technological advances while ensuring national security and user protection. This piece of information provides a background on the reasons behind the proposed feature by the Govt Sends Notice to WhatsApp, the legal framework, concerns raised, and the implications of this feature for users and digital governance.

What is the Username Feature on WhatsApp?

The proposed feature is called the Username Feature for WhatsApp, a new username for users to connect with instead of their cell phone number in a manner that prioritises user privacy. Users can select an identifier that they want others to recognise them by and send them messages, just like on other apps such as Telegram and Signal. However, even the phone number will be needed for account sign-up and verification. The idea behind the feature is to improve user privacy, minimising the need to subscribe to unnecessary exposure of personal contact information, particularly in group chats, business situations and communities that are public. It is in development and will not be made available to everyone.

Current Affairs Capsule for 2 July 2026 (CLASS24)

Benefits of WhatsApp Username Feature

- Supports users' privacy in less revealing connections, where they don't need to expose their mobile numbers to the public.
- Limits exposure of personal information, particularly in group chats and community interactions.
- Facilitates safer communication by giving individual users more control over who can discover and contact them.
- Enhances business communications, allowing businesses to share usernames rather than personal/official phone numbers.
- Eases discovery of the account with helpful, easy-to-remember and shareable names.
- Enables existing privacy settings, such as controls for profile picture, last seen, and online status.
- Aids in minimising unwanted contacts with unknown individuals who get phone numbers.
- Extends end-to-end protection for both personal data and communications: safeguards messages, calls, photos, voice, and video sharing regardless of whether they're sent in the app or via the browser.

PYQs on WhatsApp, Cyber Security & Data Protection

Exam	Year	Question	Options	Correct Answer
UPSC CSE (Prelims)	2023	Which of the following best describes end-to-end encryption used by messaging platforms?	(A) Messages are stored permanently on government servers (B) Only the sender and intended recipient can read the messages (C) Anyone with internet access can view the messages (D) Messages are automatically shared with telecom operators	(B) Only the sender and intended recipient can read the messages
SSC CGL	2023	The Digital Personal Data Protection Act, 2023 primarily aims to:	(A) Regulate cryptocurrency (B) Protect personal digital data and regulate its processing (C) Conduct Population Census (D) Regulate telecom tariffs	(B) Protect personal digital data and regulate its processing

**Current Affairs Capsule for 2 July 2026
(CLASS24)**

SSC CHSL	202 2	Which Ministry administers the Information Technology Act, 2000 ?	(A) Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) (B) Ministry of Home Affairs (C) Ministry of Communications (D) Ministry of Law and Justice	(A) Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY)
RRB NTPC	202 1	WhatsApp primarily uses which security technology to protect users' personal messages?	(A) Firewall Protection (B) End-to-End Encryption (C) Blockchain Encryption (D) Cloud Encryption	(B) End-to-End Encryption
RRB Group D	202 2	The CERT-In functions under which Ministry?	(A) Ministry of Home Affairs (B) Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) (C) Ministry of Defence (D) Ministry of Communications	(B) Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY)
SSC MTS	202 3	What is the main objective of a username-based messaging feature ?	(A) Increase internet speed (B) Allow communication without publicly sharing a phone number (C) Replace SIM cards (D) Disable encryption	(B) Allow communication without publicly sharing a phone number
CDS (GK)	202 1	Which law provides the primary legal framework for cyber offences and electronic governance in India?	(A) Indian Penal Code, 1860 (B) Information Technology Act, 2000 (C) Consumer Protection Act, 2019 (D) Official Secrets Act, 1923	(B) Information Technology Act, 2000
State PCS	202 4	Which organization serves as India's national nodal agency for responding to cybersecurity incidents?	(A) NITI Aayog (B) CERT-In (C) UIDAI (D) National Informatics Centre	(B) CERT-In

Current Affairs Capsule for 2 July 2026 (CLASS24)

UPSC CSE (Prelims)	202 1	Which of the following is the primary purpose of the Information Technology Act, 2000 ?	(A) Regulate banking operations (B) Provide legal recognition to electronic records and address cyber offences (C) Conduct elections (D) Govern telecom spectrum allocation	(B) Provide legal recognition to electronic records and address cyber offences
RRB JE	202 2	Which feature of WhatsApp ensures that only the sender and intended recipient can access the content of messages?	(A) Two-Factor Authentication (B) End-to-End Encryption (C) Cloud Backup (D) Username Verification	(B) End-to-End Encryption

Conclusion on WhatsApp's Username Feature Draws Government Notice

The relationship between digital innovation and regulatory oversight is evolving in India, as The Govt Sends Notice to WhatsApp over the username feature. This feature might enhance the usage of mobile numbers from trust issues; however, it would make a huge impact on security, traceability and compliance with Indian laws. Implementation of the same, bringing everything in one place, will balance the ease for users and legal and security reasons, which is a good advancement for India bucket.

WhatsApp's Username Feature, Issues Notice FAQs

Why did the government send a notice to WhatsApp over the username feature?

The government reportedly sought clarification regarding the proposed username feature, particularly its implications for privacy, traceability, cybersecurity, and compliance with Indian regulations.

What is WhatsApp's username feature?

It is a proposed feature that would allow users to communicate through a unique username instead of sharing their mobile number.

Will users still need a phone number?

Yes. A phone number is expected to remain necessary for account registration, while usernames may serve as a public identifier for communication.

Which laws are relevant to this issue?

The issue relates to the **Information Technology Act, 2000**, the **Digital Personal Data Protection Act, 2023**, and the **Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021**.

How could the username feature benefit users?

It may improve privacy by hiding users' mobile numbers, reduce spam, and make it easier to connect with people or businesses without disclosing personal contact details.

HINDI

भाजपा का दो-तिहाई बहुमत, सीटों की संख्या और संवैधानिक महत्व



चाहे विधायी संशोधनों पर चर्चा हो या संवैधानिक परिवर्तनों पर, भाजपा के दो-तिहाई बहुमत पर भारत में हमेशा से ही खूब चर्चा होती रही है। कुछ लोगों का मानना है कि संविधान में संशोधन के लिए मात्र बहुमत ही पर्याप्त है। लेकिन भारतीय संविधान के अनुसार, इसके पाठ में कई परिवर्तनों को विशेष बहुमत से पारित करना अनिवार्य है। इसलिए, भाजपा के दो-तिहाई बहुमत को समझना संसद की कार्यप्रणाली, संविधान में संशोधनों की प्रक्रिया और संसद के दोनों सदनों में सीटों की संख्या के महत्व को समझने में सहायक होता है। यह लेख सरल भाषा में इन महत्वपूर्ण संख्याओं, संवैधानिक निहितार्थों, अर्थ और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है।

भाजपा के दो-तिहाई बहुमत का क्या मतलब है?

- जहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को संसद में अपने दम पर या अन्य दलों के साथ मिलकर 2/3 बहुमत प्राप्त है, वहां उसके पास संसद में अधिकांश संवैधानिक संशोधन विधेयकों को पारित करने के लिए पर्याप्त संसदीय शक्ति है।
- विशेष कानून पर विचार करने की प्रक्रिया सामान्य कानून पर विचार करने की प्रक्रिया से भिन्न होती है।
- संसद के सभी सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होती है।
- इसके अलावा, इस संशोधन को प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई सदस्यों का समर्थन प्राप्त करना होगा।
- इस संशोधन को लोकसभा और राज्यसभा द्वारा अलग-अलग सदनो के रूप में पारित किया जाना चाहिए; इस विशेष मामले में उन्हें यह अलग-अलग करना होगा, और संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है।
- इसके अलावा, कुछ संवैधानिक संशोधनों को लागू होने के लिए 50 राज्यों में से आधे या उससे अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।
- अतः मतदान के दिन दोनों सदनो के लिए आवश्यक कोरम ही आवश्यक वोटों की सटीक संख्या निर्धारित करेगा।

विशेष बहुमत से पारित संवैधानिक संशोधनों के उदाहरण

कई ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधनों के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ी है, जिनमें शामिल हैं:

संवैधानिक संशोधन	महत्व
42वां संशोधन	व्यापक संवैधानिक परिवर्तन
44वां संशोधन	लोकतांत्रिक सुरक्षा उपायों की बहाली
73वां संशोधन	Panchayati Raj Institutions
74वां संशोधन	शहरी स्थानीय निकाय
86वां संशोधन	शिक्षा का अधिकार
101वां संशोधन	वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)
103वां संशोधन	10% इंडब्ल्यूएस आरक्षण
106वां संशोधन	विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण

संविधान में संशोधन कैसे पारित किए जाते हैं?

- संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत, संवैधानिक संशोधन विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा में से किसी में भी पेश किया जा सकता है।
- इसे संसद के दोनों सदनो में पेश किया जाता है और इस पर अलग-अलग बहस और चर्चा की जाती है।

Current Affairs Capsule for 2 July 2026
(CLASS24)

- प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है।
- इसे उपस्थित और मतदान करने वाले प्रत्येक सदन में दो-तिहाई बहुमत का समर्थन प्राप्त होना चाहिए।
- राष्ट्रीय विधानसभा के दोनों सदनों द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव के विरुद्ध संवैधानिक संशोधन विधेयक में असहमति की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है।
- संविधान के किसी भी अनुच्छेद में परिवर्तन को दो-तिहाई राज्य विधानमंडलों द्वारा अपनाया जा सकता है यदि यह संघीय संरचना को प्रभावित करता है, जिसमें राज्यों के अधिकार या राष्ट्रपति के चुनाव शामिल हैं।
- संसद और राज्य सरकार की मंजूरी (यदि कोई हो) मिलने पर, विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं और यह संविधान का हिस्सा बन जाता है।

संवैधानिक संशोधनों और विशेष बहुमत पर पूर्व प्रश्नोत्तर

परीक्षा	वर्ष	सवाल	विकल्प	सही जवाब
यूपीएससी सीएसई (प्रारंभिक परीक्षा)	201 3	संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है?	(ए) अनुच्छेद 356 (बी) अनुच्छेद 368 (सी) अनुच्छेद 370 (डी) अनुच्छेद 352	(ख) अनुच्छेद 368
यूपीएससी सीएसई (प्रारंभिक परीक्षा)	201 7	संविधान संशोधन विधेयक निम्नलिखित राज्यों में प्रस्तुत किया जा सकता है:	(A) केवल लोकसभा (B) केवल राज्यसभा (C) संसद का कोई भी सदन (D) संयुक्त बैठक	(सी) संसद का कोई भी सदन
एसएससी सीजीएल	202 3	अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित करने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है?	(A) साधारण बहुमत (B) पूर्ण बहुमत (C) विशेष बहुमत (D) प्रभावी बहुमत	(सी) विशेष बहुमत
एसएससी सीजीएल	202 2	भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लागू किया गया था?	(A) 97वां संशोधन (B) 99वां संशोधन (C) 101वां संशोधन (D) 103वां संशोधन	(सी) 101वां संशोधन
SSC CHSL	202 1	संविधान संशोधन विधेयक के लिए निम्नलिखित की स्वीकृति आवश्यक है:	(A) केवल लोकसभा (B) केवल राज्यसभा (C) संसद के दोनों सदन अलग-अलग (D) संसद की संयुक्त बैठक	(सी) संसद के दोनों सदन अलग-अलग

Current Affairs Capsule for 2 July 2026
(CLASS24)

आरआरबी एनटीपीसी	202 1	निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन विधेयक को कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होती है?	(A) केंद्र-राज्य संबंधों को प्रभावित करने वाला संशोधन (B) धन विधेयक (C) वित्त विधेयक (D) विनियोग विधेयक	(ए) केंद्र-राज्य संबंधों को प्रभावित करने वाला संशोधन
आरआरबी गुप डी	202 2	संसद के किस सदन में संवैधानिक संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है?	(A) लोकसभा (B) राज्यसभा (C) दोनों सदन (D) उपरोक्त में से कोई नहीं	(सी) दोनों सदन
आरआरबी आईएस	201 9	भारत के राष्ट्रपति किसी संवैधानिक संशोधन विधेयक को पारित होने के बाद किस अनुच्छेद के तहत अपनी सहमति देते हैं?	(ए) अनुच्छेद 123 (बी) अनुच्छेद 356 (सी) अनुच्छेद 368 (डी) अनुच्छेद 324	(सी) अनुच्छेद 368
एसएससी एमटीएस	202 3	अधिकांश संवैधानिक संशोधनों के लिए आवश्यक न्यूनतम संसदीय बहुमत को इस प्रकार जाना जाता है:	(A) साधारण बहुमत (B) विशेष बहुमत (C) प्रभावी बहुमत (D) पूर्ण बहुमत	(बी) विशेष बहुमत
सीडीएस (जीके)	202 0	संविधान संशोधन विधेयकों के संबंध में कौन सा कथन सही है?	(A) इन्हें संयुक्त बैठक में पारित किया जा सकता है। (B) इन्हें केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। (C) इन्हें प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से अलग-अलग पारित किया जाना आवश्यक है। (D) इनके लिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है।	(सी) इन्हें प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से अलग-अलग पारित किया जाना चाहिए।

संसद में दो-तिहाई बहुमत पर निष्कर्ष

भाजपा का दो-तिहाई बहुमत महज एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं है। यह अनुच्छेद 368 के तहत कई महत्वपूर्ण संशोधनों के लिए संविधान की मूलभूत सीमा है। यह प्रावधान कि संवैधानिक संशोधनों को पारित करने के लिए सदन के दो-तिहाई सदस्यों की अनुपस्थिति और बहुमत सदस्यों की अनुपस्थिति आवश्यक होगी, संसदीय गणित को भी काफी हद तक निर्धारित करता है। इन जानकारियों से नागरिकों को भारत के संविधान में संशोधन की

प्रक्रिया और भारत की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के संदर्भ में इन परिवर्तनों पर होने वाली बहस, अनुमोदन और संविधान में शामिल किए जाने की प्रक्रिया की बेहतर समझ प्राप्त होती है।

संसद में भाजपा के दो-तिहाई बहुमत से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

भाजपा के दो-तिहाई बहुमत का क्या मतलब है?

दभाजपा को दो-तिहाई बहुमत प्राप्त हुआ। इसका तात्पर्य संवैधानिक संशोधन विधेयकों को पारित करने के लिए आवश्यक संवैधानिक विशेष बहुमत को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसदीय समर्थन प्राप्त करना है।

दो-तिहाई बहुमत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है?

अनुच्छेद 368 भारत के संविधान का अनुच्छेद विशेष बहुमत की आवश्यकता वाले संवैधानिक संशोधनों की प्रक्रिया निर्धारित करता है।

क्या भाजपा को दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता है?

जी हां। संविधान में संशोधन के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा निर्धारित विशेष बहुमत का प्रयोग करते हुए अलग-अलग प्रस्ताव पारित किए जाने चाहिए।

क्या संवैधानिक संशोधनों के लिए साधारण बहुमत पर्याप्त है?

नहीं। अधिकांश संवैधानिक संशोधनों के लिए अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, न कि केवल साधारण बहुमत की।

क्या सभी संवैधानिक संशोधनों के लिए राज्य की स्वीकृति आवश्यक है?

नहीं। केवल कुछ संघीय प्रावधानों को प्रभावित करने वाले संशोधनों के लिए ही कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है।

2024 में जन्म और मृत्यु पंजीकरण लगभग आधिकारिक अनुमानों के बराबर रहे।



जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण 2024 ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जिसमें पंजीकृत जन्म और मृत्यु की संख्या भारत सरकार के आधिकारिक अनुमान के लगभग बराबर है। यह उपलब्धि नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस), डिजिटल रजिस्ट्री प्रक्रियाओं और नागरिक पहलुओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ती जनसंख्या के साथ, जनसंख्या के सटीक आंकड़े होना महत्वपूर्ण है, जो शासन, नीति नियोजन, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक कल्याण में सहायक होते हैं। यह लेख जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण से संबंधित नवीनतम आंकड़ों, संवैधानिक और प्रशासनिक निहितार्थों, चिंता के महत्वपूर्ण पहलुओं, इससे जुड़े मुद्दों और निहितार्थों, और लोक प्रशासन एवं प्रतियोगी परीक्षाओं पर इसके प्रभाव का सारांश प्रस्तुत करता है।

भारत की नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अभिलेखों की प्रमुख विशेषताएं

विशिष्ट	विवरण
फोकस कीवर्ड	जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण 2024
पंजीकरण प्रणाली	नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस)

Current Affairs Capsule for 2 July 2026 (CLASS24)

कार्यान्वयन मंत्रालय	गृह मंत्रालय (भारत के रजिस्ट्रार जनरल)
कानूनी ढांचा	जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969
मुख्य निष्कर्ष	वर्ष 2024 में पंजीकृत जन्म और मृत्यु के आंकड़े आधिकारिक अनुमानों के लगभग बराबर थे।
महत्व	जनसंख्या सांख्यिकी, शासन, योजना, कल्याणकारी योजनाएँ
डेटा स्रोत	नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस)

जन्म और मृत्यु पंजीकरण 2024 क्या हैं?

- जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण 2024, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अनुसार सभी जन्मों और मृत्युओं के पंजीकरण के आधिकारिक दस्तावेज हैं।
- पंजीकरण भारत की नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) के अंतर्गत किया जाता है।
- राज्य स्तर पर पंजीकरण का कार्य राज्य समन्वयक द्वारा किया जाता है, जिसका प्रबंधन राष्ट्रीय स्तर पर भारत के रजिस्ट्रार जनरल (आरजीआई) द्वारा किया जाता है।
- कानून के अनुसार, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
- जन्म पंजीकरण किसी व्यक्ति की पहचान, आयु, राष्ट्रियता और माता-पिता के बारे में कानूनी रिकॉर्ड होता है।
- मृत्यु पंजीकरण दस्तावेज मृत्यु के कानूनी तथ्य और कारण को दर्ज करता है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सांख्यिकी और कानून में सहायता प्रदान करता है।
- जन्म और मृत्यु पंजीकरण में पूर्णता में वृद्धि हुई है, और 2024 के आंकड़े आधिकारिक जनसांख्यिकीय अनुमानों से काफी हद तक मेल खाते हैं।
- पंजीकरण से सरकारों को जनसंख्या की योजना बनाने, स्वास्थ्य नीतियां प्रदान करने, कल्याणकारी योजनाएं प्रदान करने और महत्वपूर्ण आंकड़ों को सटीक रूप से दर्ज करने में मदद मिलती है।

जन्म और मृत्यु पंजीकरण पर आधारित संभावित प्रश्न

परीक्षा	अपेक्षित वर्ष	सवाल	विकल्प	सही जवाब
यूपीएससी/एसएससी	2026	किस राज्य ने रिकॉर्ड कियापंजीकृत जन्मों की उच्चतम संख्या2024 में भारत में?	(A) Maharashtra (B) Uttar Pradesh (C) Bihar (D) Madhya Pradesh	(B) Uttar Pradesh

Current Affairs Capsule for 2 July 2026
(CLASS24)

एसएससी सीजीएल	2026	किस राज्य ने पंजीकरण करायामौतों की सबसे अधिक संख्यानागरिक पंजीकरण प्रणाली के अनुसार 2024 में क्या स्थिति होगी?	(A) तमिलनाडु (B) महाराष्ट्र (C) उत्तर प्रदेश (D) पश्चिम बंगाल	(C) Uttar Pradesh
आरआरबी एनटीपीसी	2026	किस केंद्र शासित प्रदेश ने रिकॉर्ड कियापंजीकृत जन्मों की उच्चतम संख्या2024 में?	(A) चंडीगढ़ (B) जम्मू और कश्मीर (C) दिल्ली (D) पुडुचेरी	(सी) दिल्ली (एनसीटी)
SSC CHSL	2026	किस केंद्र शासित प्रदेश ने रिपोर्ट दी?पंजीकृत जन्मों की सबसे कम संख्या2024 में?	(A) Lakshadweep (B) Ladakh (C) Chandigarh (D) Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu	(ए) लक्षद्वीप
यूपीएससी प्रीलिम्स	2026	किस राज्य में थापंजीकृत जन्मों की सबसे कम संख्या2024 में राज्यों में से कौन सा स्थान रहेगा?	(A) गोवा (B) सिक्किम (C) मिजोरम (D) अरुणाचल प्रदेश	(बी) सिक्किम
आरआरबी ग्रुप डी	2026	किस केंद्र शासित प्रदेश ने रिकॉर्ड कियापंजीकृत मौतों की सबसे कम संख्या2024 में?	(A) लक्षद्वीप (B) लद्दाख (C) चंडीगढ़ (D) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	(ए) लक्षद्वीप
राज्य पीसीएस	2026	भारत की वार्षिक रिपोर्ट कौन सी संस्था प्रकाशित करती है?नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) रिपोर्ट?	(ए) राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (बी) भारत के रजिस्ट्रार जनरल (सी) नीति आयोग (डी) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	(ख) भारत के रजिस्ट्रार जनरल
एसएससी एमटीएस	2026	भारत में जन्म और मृत्यु पंजीकरण के आंकड़े किस प्रणाली के अंतर्गत संकलित किए जाते हैं?	(A) भारत की जनगणना (B) नागरिक पंजीकरण प्रणाली (C) नमूना पंजीकरण प्रणाली (D) राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर	(बी) नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस)

2024 के नागरिक पंजीकरण आंकड़ों पर निष्कर्ष:

“जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण 2024” की उपलब्धि भारत में नागरिक पंजीकरण प्रणाली की निरंतर प्रगति और सुधार का प्रमाण है। शासन, स्वास्थ्य सेवा और कल्याणकारी योजनाओं के लिए अधिक सटीक जनसांख्यिकीय जानकारी के बढ़ते उपयोग से नीति निर्माताओं को अधिक विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि जन्म और मृत्यु के रिकॉर्ड अब अनुमानों की तुलना में अधिक पूर्ण हैं। डिजिटल परिवर्तन, जन जागरूकता में वृद्धि और प्रभावी प्रशासनिक समन्वय के प्रयासों से अधिक सटीक और पूर्ण महत्वपूर्ण आंकड़े प्राप्त होंगे, जिससे पंजीकरण प्रणाली साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण का एक अभिन्न अंग बन जाएगी।

जन्म और मृत्यु पंजीकरण लगभग 2024 के अनुमानों के अनुरूप हैं (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)

जन्म और मृत्यु पंजीकरण **2024** क्या हैं?

ये आंकड़े भारत की नागरिक पंजीकरण प्रणाली के माध्यम से 2024 के दौरान दर्ज किए गए जन्म और मृत्यु के आधिकारिक पंजीकरण को संदर्भित करते हैं, जिसमें पंजीकरण के आंकड़े आधिकारिक जनसांख्यिकीय अनुमानों से काफी हद तक मेल खाते हैं।

भारत में जन्म और मृत्यु पंजीकरण किस कानून द्वारा नियंत्रित होता है?

दजन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, **1969** यह अनिवार्य पंजीकरण के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।

नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) क्या है?

सीआरएस भारत की राष्ट्रव्यापी प्रणाली है जिसके तहत जन्म और मृत्यु को दर्ज किया जाता है और आधिकारिक महत्वपूर्ण आंकड़े तैयार किए जाते हैं।

जन्म और मृत्यु पंजीकरण **2024** क्यों महत्वपूर्ण हैं?

वे जनसांख्यिकीय नियोजन, स्वास्थ्य देखभाल नीतियों, कल्याणकारी सेवाओं के वितरण, जनसंख्या अनुमानों और प्रशासनिक शासन में सुधार करते हैं।

नागरिक पंजीकरण प्रणाली का रखरखाव कौन सा प्राधिकरण करता है?

दभारत के रजिस्ट्रार जनरलगृह मंत्रालय के अधीन, नागरिक पंजीकरण प्रणाली का समन्वय किया जाता है, जबकि राज्य सरकारें स्थानीय अधिकारियों के माध्यम से पंजीकरण लागू करती हैं।

सरकार ने यूजरनेम फीचर को लेकर व्हाट्सएप को नोटिस भेजा



भारत में अब एक महत्वपूर्ण तकनीकी और डिजिटल शासन संबंधी दुविधा उत्पन्न हो गई है, क्योंकि सरकार ने व्हाट्सएप को उसके यूजरनेम फीचर के लिए नोटिस भेजा है। खबरों के अनुसार, केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप की यूजरनेम आधारित मैसेजिंग सुविधा शुरू करने की योजना पर सवाल उठाए हैं, जिसमें गोपनीयता, ट्रेसबिलिटी, साइबर सुरक्षा और भारत के डिजिटल कानूनों के अनुपालन का हवाला दिया गया है। यह घटनाक्रम राष्ट्रीय सुरक्षा और उपयोगकर्ता संरक्षण सुनिश्चित करते हुए तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने पर सरकार के बढ़ते ध्यान को रेखांकित करता है। यह जानकारी सरकार द्वारा व्हाट्सएप को भेजे गए नोटिस के पीछे के कारणों, कानूनी ढांचे, उठाई गई चिंताओं और उपयोगकर्ताओं और डिजिटल शासन पर इस सुविधा के प्रभावों की पृष्ठभूमि प्रदान करती है।

व्हाट्सएप पर यूजरनेम फीचर क्या है?

प्रस्तावित फीचर को WhatsApp के लिए यूजरनेम फीचर कहा जाता है। यह एक नया यूजरनेम है जिसके ज़रिए यूजर अपने मोबाइल नंबर की जगह एक दूसरे से जुड़ सकेंगे और उनकी निजता को प्राथमिकता दी जाएगी। यूजर एक ऐसा पहचानकर्ता चुन सकते हैं जिससे दूसरे उन्हें पहचान सकें और संदेश भेज सकें, ठीक वैसे ही जैसे Telegram और Signal जैसे अन्य ऐप्स पर होता है। हालांकि, अकाउंट बनाने और सत्यापन के लिए फ़ोन नंबर की आवश्यकता होगी। इस फीचर का उद्देश्य यूजर की निजता को बेहतर बनाना है, जिससे व्यक्तिगत संपर्क जानकारी के अनावश्यक प्रदर्शन की आवश्यकता कम हो, खासकर ग्रुप चैट, व्यावसायिक बातचीत और सार्वजनिक समुदायों में। यह अभी विकास के चरण में है और सभी के लिए उपलब्ध नहीं होगा।

व्हाट्सएप यूजरनेम फीचर के फायदे

- यह उन कम संवेदनशील संपर्कों में उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता का समर्थन करता है, जहां उन्हें अपने मोबाइल नंबर सार्वजनिक रूप से प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होती है।
- यह व्यक्तिगत जानकारी के खुलासे को सीमित करता है, विशेष रूप से समूह चैट और सामुदायिक बातचीत में।
- यह व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं को इस बात पर अधिक नियंत्रण देकर सुरक्षित संचार को सुगम बनाता है कि कौन उन्हें खोज सकता है और उनसे संपर्क कर सकता है।
- यह व्यावसायिक संचार को बेहतर बनाता है, जिससे व्यवसायों को व्यक्तिगत/आधिकारिक फोन नंबरों के बजाय उपयोगकर्ता नाम साझा करने की अनुमति मिलती है।
- आसान, याद रखने में सरल और साझा करने योग्य नामों के साथ खाते को ढूंढना आसान हो जाता है।
- यह मौजूदा गोपनीयता सेटिंग्स को सक्षम करता है, जैसे कि प्रोफाइल चित्र, अंतिम बार देखा गया दृश्य और ऑनलाइन स्थिति के लिए नियंत्रण।
- यह उन अज्ञात व्यक्तियों के साथ अवांछित संपर्कों को कम करने में मदद करता है जिन्हें फोन नंबर प्राप्त होते हैं।
- यह व्यक्तिगत डेटा और संचार दोनों के लिए संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है: यह संदेशों, कॉलों, फोटो, आवाज़ और वीडियो साझाकरण की सुरक्षा करता है, चाहे वे ऐप में भेजे गए हों या ब्राउज़र के माध्यम से।

व्हाट्सएप, साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण पर पूर्व प्रश्नोत्तर (PYQs)

परीक्षा	वर्ष	सवाल	विकल्प	सही जवाब
यूपीएससी सीएसई (प्रारंभिक परीक्षा)	2023	निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त वर्णन करता है? एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शनक्या इनका उपयोग मैसेजिंग प्लेटफॉर्म द्वारा किया जाता है?	(A) संदेश सरकारी सर्वरों पर स्थायी रूप से संग्रहीत होते हैं (B) केवल प्रेषक और प्राप्तकर्ता ही संदेश पढ़ सकते हैं (C) इंटरनेट सुविधा वाला कोई भी व्यक्ति संदेश देख सकता है (D) संदेश स्वचालित रूप से दूरसंचार ऑपरेटरों के साथ साझा किए जाते हैं	(B) केवल प्रेषक और इच्छित प्राप्तकर्ता ही संदेशों को पढ़ सकते हैं।
एसएससी सीजीएल	2023	दडिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023मुख्यतः इसका उद्देश्य है:	(A) क्रिप्टोकॉरेंसी को विनियमित करना (B) व्यक्तिगत डिजिटल डेटा की सुरक्षा करना और उसके प्रसंस्करण को विनियमित करना (C) जनसंख्या जनगणना करना (D) दूरसंचार शुल्कों को विनियमित करना	(ख) व्यक्तिगत डिजिटल डेटा की सुरक्षा करना और उसके प्रसंस्करण को विनियमित करना

Current Affairs Capsule for 2 July 2026
(CLASS24)

SSC CHSL	202 2	किस मंत्रालय द्वारा इसका प्रशासन किया जाता है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000?	(A) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) (B) गृह मंत्रालय (C) संचार मंत्रालय (D) विधि और न्याय मंत्रालय	(ए) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई)
आरआरबी एनटीपीसी	202 1	WhatsApp मुख्य रूप से उपयोगकर्ताओं के निजी संदेशों की सुरक्षा के लिए किस सुरक्षा तकनीक का उपयोग करता है?	(A) फ़ायरवॉल सुरक्षा (B) एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन (C) ब्लॉकचेन एन्क्रिप्शन (D) क्लाउड एन्क्रिप्शन	(बी) एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन
आरआरबी ग्रुप डी	202 2	दCERT-इनयह किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है?	(A) गृह मंत्रालय (B) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) (C) रक्षा मंत्रालय (D) संचार मंत्रालय	(ख) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)
एसएससी एमटीएस	202 3	किसी कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपयोगकर्ता नाम-आधारित संदेश सुविधा?	(A) इंटरनेट की गति बढ़ाना (B) फ़ोन नंबर सार्वजनिक रूप से साझा किए बिना संचार की अनुमति देना (C) सिम कार्ड बदलना (D) एन्क्रिप्शन को निष्क्रिय करना	(B) फ़ोन नंबर को सार्वजनिक रूप से साझा किए बिना संचार की अनुमति दें
सीडीएस (जीके)	202 1	भारत में साइबर अपराधों और इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन के लिए प्राथमिक कानूनी ढांचा कौन सा कानून प्रदान करता है?	(ए) भारतीय दंड संहिता, 1860 (बी) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (सी) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (डी) आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923	(ख) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
राज्य पीसीएस	202 4	साइबर सुरक्षा संबंधी घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए भारत की राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में कौन सा संगठन कार्य करता है?	(ए) नीति आयोग (बी) सर्ट-इन (सी) यूआईडीएआई (डी) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र	(बी) प्रमाणित-इन

Current Affairs Capsule for 2 July 2026 (CLASS24)

यूपीएससी सीएसई (प्रारंभिक परीक्षा)	202 1	निम्नलिखित में से किसका प्राथमिक उद्देश्य है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000?	(A) बैंकिंग संचालन को विनियमित करना (B) इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को कानूनी मान्यता प्रदान करना और साइबर अपराधों से निपटना (C) चुनाव कराना (D) दूरसंचार स्पेक्ट्रम आवंटन का संचालन करना	(बी) इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को कानूनी मान्यता प्रदान करना और साइबर अपराधों से निपटना
आरआरबी आईएस	202 2	व्हाट्सएप का कौन सा फीचर यह सुनिश्चित करता है कि केवल भेजने वाला और संदेश प्राप्त करने वाला ही संदेशों की सामग्री तक पहुंच सके?	(A) दो-कारक प्रमाणीकरण (B) एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन (C) क्लाउड बैकअप (D) उपयोगकर्ता नाम सत्यापन	(बी) एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन

व्हाट्सएप के यूजरनेम फीचर पर निष्कर्ष ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया

भारत में डिजिटल नवाचार और नियामक निगरानी के बीच संबंध विकसित हो रहे हैं, क्योंकि सरकार ने उपयोगकर्ता नाम सुविधा को लेकर व्हाट्सएप को नोटिस भेजा है। यह सुविधा भरोसे से जुड़ी चिंताओं के चलते मोबाइल नंबरों के उपयोग को बढ़ा सकती है; हालांकि, इससे सुरक्षा, पता लगाने की क्षमता और भारतीय कानूनों के अनुपालन पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। इसे लागू करने से, सभी जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाएगी, जिससे उपयोगकर्ताओं की सुविधा और कानूनी एवं सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बीच संतुलन बना रहेगा, जो भारत के लिए एक सकारात्मक कदम है।

WhatsApp के यूजरनेम फीचर को लेकर नोटिस जारी किया गया है। पूछे जाने वाले प्रश्न

सरकार ने यूजरनेम फीचर को लेकर व्हाट्सएप को नोटिस क्यों भेजा?

खबरों के मुताबिक, सरकार ने प्रस्तावित यूजरनेम फीचर के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है, विशेष रूप से गोपनीयता, पता लगाने की क्षमता, साइबर सुरक्षा और भारतीय नियमों के अनुपालन पर इसके प्रभावों के बारे में।

व्हाट्सएप का यूजरनेम फीचर क्या है?

यह एक प्रस्तावित फीचर है जो उपयोगकर्ताओं को अपना मोबाइल नंबर साझा करने के बजाय एक अद्वितीय उपयोगकर्ता नाम के माध्यम से संवाद करने की अनुमति देगा।

क्या उपयोगकर्ताओं को अभी भी फोन नंबर की आवश्यकता होगी?

जी हां। खाता पंजीकरण के लिए फोन नंबर आवश्यक रहेगा, जबकि उपयोगकर्ता नाम संचार के लिए एक सार्वजनिक पहचानकर्ता के रूप में काम कर सकते हैं।

इस मुद्दे से संबंधित कौन से कानून लागू होते हैं?

Current Affairs Capsule for 2 July 2026 (CLASS24)

यह मुद्दा इससे संबंधित है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023, और यह सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021.

यूजरनेम फीचर से यूजर्स को क्या फायदा हो सकता है?

यह उपयोगकर्ताओं के मोबाइल नंबरों को छिपाकर गोपनीयता में सुधार कर सकता है, स्पैम को कम कर सकता है और व्यक्तिगत संपर्क विवरणों का खुलासा किए बिना लोगों या व्यवसायों से जुड़ना आसान बना सकता है।

